

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (एस.एस.) सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
क्रमांक:-एस.ई.(एस.एस.)/नरेगा/डी- 67

दिनांक:- 22/05/14

परिपत्र

विषय:- महानरेगा योजना के तहत कार्यों को संवेदकों द्वारा सम्पादित नहीं कराने बाबत।

इस कार्यालय के ध्यान में लाया गया है कि कई अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा महानरेगा योजना के तहत विभिन्न मदों (Items) के कार्यों को संवेदकों द्वारा सम्पादित करवाया जा रहा है जो कि महानरेगा कानून एवं योजना की अनुसूची-प्रथम के विन्दु संख्या-21 एवं 22 के दिशा-निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि महानरेगा योजना के तहत करवाये जा रहें उन कार्यों पर जिनमें श्रमिक भाग शामिल हो, उन मदों (Items) के पूर्ण मद (Complete Item) के कार्य संवेदक द्वारा सम्पादित नहीं करवाये जावें।

भवदीय

(एम.एल.मीणा) 21/5/14
मुख्य अभियन्ता (एस.एस.)
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सा.नि.वि.राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सा.नि.वि.राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य अभियन्ता (एन.एच./एस.एस./भवन/पथ/पीएमजीएसवाई/पीएण्डएम) सा.नि.वि.राजस्थान, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सा.नि.वि.संभाग-.....(समस्त)
6. अधीक्षण अभियन्ता, सा.नि.वि.वृत्त-.....(समस्त)
7. अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि.खण्ड-.....(समस्त)

मुख्य अभियन्ता (एस.एस.) 21/5/14
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान, जयपुर